तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान सरकार बनाम ललिता / रमेश	नकल आज्ञा हुक्म में जाए
30.7.21	मुकदमा नं० 197/15 निर्णय दि०..... पत्रावली पेश। कुर्रेआत प्राप्त। उभय पक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गयी। प्रतिवादीगण कुर्रेआत में प्रस्तावित भूमि में प्रवेश हेतु वादीगण व रास्ता दिये जाने बाबत सहमत हैं। अतः कुर्रेआत प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये प्रस्तावित बंटवारा प्रस्ताव के ख.नं. 1285/2 के पूर्वी छोर से होते हुये 1285/1 में पूर्वी किनारे की सीमा से 1387/1 के दक्षिणी किनारे से 1387/2 के द. किनारे होते हुये अंत तक प्रत्येक खसरे में 3m. चौड़ा रास्ता स्वीकृति के आदेश के साथ विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तावित रास्ता सम्बंधित ख.नं. (प्रस्तावित कुर्रेआत के) के रकबे में से घटाते हुये गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुये, सम्बंधित खातेदार की खातेदारी का ही भाग रहेगा। [यानी रास्ते में आने वाली भूमि सम्बंधित ख.नं. में गै.मु. रास्ता दर्ज रहते हुये] मुताबिक आदेश अंतिम डिक्री जारी होकर, तकसीम जारी करने के पश्चात पत्रावली फैसल शुमार हो। कुर्रेआत प्रस्ताव व नक्शा निर्णय के भाग रहेंगे। (रणजीत सिंह) 30.7.21	